<u>संख्या:-1372/78-1-2021-45आई0टी0/2016</u>

प्रेषक,

ऋषिरेन्द्र कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, निकायों, परिषदों एवं स्वायत्तशासी निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

<u>आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1</u> <u>लखनऊ: दिनांक: 29 अक्टूबर 2021</u>

विषयः- 'निवेश मित्र' पोर्टल के बैक-एण्ड पोर्टल www.uprow.in पर आवेदन के साथ रु0 10,000/- की 'वन टाइम' फीस का विकल्प उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भारत सरकार द्वारा निर्गत ROW Act के अनुसार मोबाइल टावर की स्थापना के लिये One Time Charges रु0 10,000/- का प्रावधान है तथा इन्हीं नियमों को राज्य सरकार द्वारा भी अंगीकृत किया गया है। भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15-11-2016 के अध्याय-3 के नियम-9 के उपनियम-3 के अनुसार "भूमि के ऊपर अवसंरचना" अर्थात् मोबाइल टावर स्थापित करने हेतु आवेदक कम्पनी को प्रति आवेदन के साथ रु0 10,000/- का प्रशासनिक शुल्क जमा करना आवश्यक है।

2- मोबाइल टावर लगाये जाने के सम्बन्ध में अनुभव की जा रही कठिनाइयों पर चर्चा के लिए शासन स्तर पर दिनांक 19 जनवरी, 2021 को आयोजित बैठक में TAIPA तथा COAI के प्रतिनिधियों द्वारा पोर्टल पर प्रस्तुत समस्त आवेदनों के सापेक्ष रू0 10,000/- की फीस जमा किए जाने हेतु सहमति व्यक्त की गई थी, ताकि सम्बन्धित विभागों द्वारा उन पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सके।

3- उपरोक्त के क्रम में 'निवेश मित्र' पोर्टल के बैक-एण्ड पोर्टल www.uprow.in में मोबाइल टावर्स की स्थापना के लिए उक्त वन-टाइम फीस जमा किये जाने की व्यवस्था करा दी गई है, जिससे कि आवेदकों द्वारा आवेदन के समय ही उसका भुगतान सुनिश्चित हो सके। निवेश मित्र पोर्टल पर भुगतान प्राप्त होने के उपरान्त यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के RoW पोर्टल से एकीकृत AXIS Bank के खाते में धनराशि प्राप्त होगी। तत्पश्चात धनराशि सम्बन्धित विभाग/संस्था के खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय,
29/10/2021
(ऋषिरेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव

<u>संख्या:- 1372(1)/78-1-2021 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि:- प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(बराती लाल)
संयुक्त सचिव